



हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांक : प.6(म)(18)एचजेयू/प.नि./आयोजन /2024 584

दिनांक : 4/5/2024

आदेश

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम की धारा 11(19) में विहित कुलपति महोदया की शक्ति के प्रयोग में तथा विद्यापरिषद व प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में एचजेयू-पीएटी, 2024 के लिए 13 सीटें उपलब्ध हैं, जिन्हें उक्त प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन / सूचना में प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के आरक्षण नियमों की अनुपालना में उक्त 13 सीटों का आरक्षणवार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कुल सीटें	श्रेणी	प्रतिशत आरक्षण	आरक्षित सीटें
1.	13	SC	16	(2.08) = 2
2.	13	ST	12	(1.56) = 2
3.	13	BC	21	(2.73) = 3
4.	13	MBC	5	(0.65) = 1
5.	13	EWS	10	(1.3) = 1
			कुल आरक्षित	09
			शेष अनारक्षित	04
			कुल सीटें	13

नोट : इनमें से एक सीट का क्षैतिजवर्ती आरक्षण PWD (दिव्यांग) के लिए निर्धारित है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्रमांक : प.6(म)(18)एचजेयू/प.नि./आयोजन /2024/ 585-594

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, एचजेयू, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव /वित्त नियंत्रक, एचजेयू, जयपुर
3. परीक्षा नियंत्रक/आकादमिक समन्वयक, एचजेयू, जयपुर
4. उप कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदित करें।
5. समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) शैक्षणिक परिसर, एचजेयू, जयपुर
6. समन्वयक, शोध केन्द्र, एचजेयू, जयपुर
7. कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय / जनसंचार संकाय एचजेयू, जयपुर
8. सहायक कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर
9. लेखा शाखा, एचजेयू, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव 4/5/24
दिनांक :


कुलसचिव

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान